न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–214 / 2022
GCMS NO:- 2022/386
दायर दिनांकः 02.09.2022
पीठासीन अधिकारी :– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. जितेन्द्र आ0 मोहन जाति कुम्हार निवासी उरांसी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.
2. नन्दकिशोर आ0 मोहन जाति कुम्हार निवासी उरांसी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.
3. पानाबाई पत्नी मोहन जाति कुम्हार निवासी उरांसी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.
4. लाली पुत्री मोहन जाति कुम्हार निवासी उरांसी हाल पता पत्नी रमेश जाति कुम्हार निवासी भजनेरी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.
5. कलावती पुत्री मोहन जाति कुम्हार निवासी उरांसी हाल पता पत्नी शेलेन्द्र जाति कुम्हार निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
6. राधेश्याम आ0 औंकार जाति कुम्हार निवासी उंरासी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
7. रामकिशन आ0 औंकार जाति कुम्हार निवासी उंरासी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
8. रामदेव आ0 औंकार जाति कुम्हार निवासी उंरासी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हजारा आ0 औंकार जाति कुम्हार निवासी उंरासी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251(क) एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 223 पुराना 184 के अनुसार खसरा संख्या 1035 / 644 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खसरा संख्या 644 रकबा 0.5420 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 643 रकबा 0.1861 हेक्टेर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6229 भूमि स्थित है। यह कि ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 316 पुराना 335 के अनुसार खसरा संख्या 1034 / 643 रकबा 0.4854 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 हजारा के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है तथा वर्तमान समय बुवाई का है तथा उक्त भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता उरांसी से डोडी जाने वाले सार्वजनिक रास्ते के बाद प्रार्थना पत्र संख्या 2 व 3 में वर्णित खसरा संख्या 643, के मध्य से होता हुआ खसरा संख्या 1034 / 643 की उत्तरी मेड के सहारे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि में पहुंचता है उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि में जाने का रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदैव से करते चले आ रहे है जिसको अप्रार्थी ताकत के बल पर बन्द करना चाहता है। अगर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के रास्ते पर जाने पर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण ... की संभावना पैदा हो गई है। प्रार्थीगण का भारी आर्थिक नुकसान की संभावना ब... प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर पहुंचने के उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट ... ग मार्क के रूप में दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का ... है। य... अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये ... मार्क रास्ते को जबरन ताकत के बल पर बन्द कर दिया जिसका उल्हाना प्रार्थीगण ने अप्रार्थी ... दिया तो अप्रार्थी लडाई झगडे पर आमादा हो गये और कहने लगे कि यहां तुम्हारा कोई रास्ता नही है हम तुम्हे उक्त रास्ते से नहीं निकलने देंगे। मौके पर रास्ता बना हुआ है। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये रास्तें को बहाल करवा कर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...ा का अंकन समस्त राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेश में करवाये। यह कि प्रार्थीगण रास्ते में ... वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने ...र्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि ...या किये।

रास्ता दिये जाने के सम्वन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्रार्थीगण के खेत पर जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता निम्नानुसार है:–

ख.न.	किस्म	लम्वाई * चौडाई	क्षैत्रफल
643	वारानी 4 (सिवायचक)	9 गट्ठा * 2 गट्ठा	0.0073 हैक्ट.
1034 / 643	वारानी 4 (खातेदारी)	32 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 64 वर्ग गट्ठा	0.0259 हैक्ट.

इस प्रकार उपरोक्त रास्ते के उपयोग हेतु 0.0073 हैक्टयर भूमि सिवायचक में से एवं 0.0259 हैक्टयर भूमि खातेदारी में से उपयोग में ली जावेगी। यह कि प्रार्थी के उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम अथवा वैकल्पिक रास्ता मौके पर एवं रिकार्ड में उपलब्ध नही है। यह है कि उक्त चाहे गये रास्ते को नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 223 पुराना 184 के अनुसार खसरा संख्या 1035 / 644 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खसरा संख्या 644 रकबा 0.5420 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिये भूमि खसरा नम्बर 643 एवं 1034 / 643 में से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है–

ख.न.	किस्म	लम्बाई * चौडाई	क्षैत्रफल
643	बारानी 4 (सिवायचक)	9 गट्ठा * 2 गट्ठा	0.0073 हैक्ट.
1034 / 643	बारानी 4 (खातेदारी)	32 गट्ठा * 2 गट्ठा अर्थात कुल 64 वर्ग गट्ठा	0.0259 हैक्ट.

यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। निर्णय नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested